



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1; खण्ड (क)

उत्तर प्रदेश अधिनियम

लखनऊ, बुधवार, 14 अगस्त, 1985

श्रावण 23, 1907 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

सं० 1430/सत्रह-वि-1-1 (क)-27-1985

लखनऊ, 14 अगस्त, 1985

अधिसूचना

विधायी

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 14 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनता जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 19
सन् 1950 की
धारा 4 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

“(10) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से पचास करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।”

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव।

No. 1430(2)/XVII-V-1—1(KA)-27-1985

Dated Lucknow, August 14, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1985), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 1985:

**THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT)
ACT, 1985**

[U. P. ACT NO. 16 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furtherto amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1985.

Amendment
of section 4
of U. P. Act
XIX of 1950.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950, after sub-section (9), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(10) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1985, withdraw a further sum of fifty crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State, and place the same to the credit of the Fund.”

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.